

कार्यावली संख्या - 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.08.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी।

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/ दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
1	BR46P-6848 (21.03.2018) श्री मुनी लाल साह, पिता-स्व० जानकी साह, पता-महिसौड़ी चौक, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.05.27 फिटनेश-31.03.27 बीमा-09.05.27 प्रदूषण-27.03.27	अप्राप्त
2	BR53P-2545 (12.02.2026) श्री भरत यादव, पिता- श्री सीतल यादव, पता-कमासी, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3089, शेखपुरा से लखीसराय। भाया-गिरिहिण्डा चौक, ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेश-11.02.28 बीमा-09.02.27 प्रदूषण-11.02.27	अप्राप्त
3	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता-श्री राम चन्द्र सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-20.11.26 फिटनेश-07.05.27 बीमा-30.03.27 प्रदूषण-06.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह वाहन सं०-BR10PB-9094 का कहना है कि दिनांक-25.08.2026 की बैठक में आवेदनकर्ता श्री मुक्ति नाथ द्वारा आवेदन में मार्ग की दूरी 89 किमी० लिखा गया था। टोटल मार्ग की दूरी को जोड़ने के बाद 103 किमी० बेगूसराय से अगुवानी एक ट्रिप में होती भी तो 04 ट्रिप में 412 किमी० होती भी इन्होंने 04 ट्रिप में 356 किमी० लिखे में इस बिन्दु पर आपत्ति लगाई गई भी इनके समय-सारणी में कोई आपत्ति नहीं लगाई गई भी। प्राधिकार की निर्णय हुई संशोधित करके दूबारा आवेदन करें। इस बार इन्होंने द्वितीय पाली में मड़ैया प्रस्थान समय 10:30, जमालपुर प्रस्थान समय 11:01 किए हैं जबकि दि०-25.08.2026 की बैठक में मड़ैया प्रस्थान समय 10:32, जमालपुर प्रस्थान समय 10:48 भी मेरे वाहन सं०-BR10PB-9094 का मड़ैया प्रस्थान समय 10:30 है तो वरियता के हिसाब से मेरा आवेदन सं०-51 है। उनका आवेदन सं०-64 है। 1. इन्होंने 1500 रुपये का चालान जमा नहीं किए हैं और समय-सारणी का मड़ैया एवं जमालपुर में द्वितीय पाली में चेंज किए हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि क्रमांक सं० का वरियता एवं 1500 रुपये के चालान के बिना समय-सारणी की बदलाव करने की स्थिति में इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।

कार्यावली संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
4	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंडाँल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-27.11.26 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त

5	BR09PA-8164 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-08.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
6	BR09PA-8538 (20.09.2023) श्रीमती बुलबुल देवी पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015 अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-19.09.27 बीमा-24.01.27 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त
7	BR09M-5982 (07.10.2013) श्री बिनीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-06.10.26 फिटनेश-15.12.26 बीमा-12.11.26 प्रदूषण-10.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0- BR06PC-9933 का कहना है कि आवेदनकर्ता अपने वाहन का परमिट बेगूसराय से बखरी मार्ग पर आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता अंतिम ट्रिप में 21:15 के समय-सारणी में बखरी से प्रस्थान के स्थान पर बेगूसराय का उल्लेख किये हैं। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण समय-सारणी के आधार पर परमिट की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है।
8	BR09PA-9171 (06.04.2024) श्रीमती बिनीता कुमारी पति-श्री रंजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
9	BR09PA-8529 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता-श्री राम नंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त
10	BR09PA-8162 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015, अलौली से बेगूसराय, भाया-हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-09.04.27 प्रदूषण-24.05.27	अप्राप्त
11	BR09PA-9543 (04.12.2024) श्रीमती रुपम कुमारी, पति-अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-03.11.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-19.12.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त

12	BR09PA-9783 (14.02.2025) श्रीमती बुलबुल देवी पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामां, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-09.11.26 फिटनेस-13.02.27 बीमा-10.02.27 प्रदूषण-16.02.27	अप्राप्त
13	BR09PA-9161 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेस-15.06.28 बीमा-14.04.27 प्रदूषण-11.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं-0-BR09M-3171 का कहना है कि आवेदनकर्ता श्रीमती सुनीता देवी अपने वाहन सं-0-BR09PA-9161 के परमिट के लिए आवेदन किये हैं। वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन माध्यम से जो टैक्स की राशि जमा की गयी है, वह निबंधन के समय जमा की गयी राशि से कम है। वाहन स्वामी द्वारा कागजात में छेड़छाड़ कर निर्धारित रकम से कम राशि टैक्स के रूप में जमा किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा पत्रांक-2998, दि०-25.05.2026 द्वारा इस कार्यालय को श्रीमान् के पत्रांक 212/परि०, दि०-04.05.2026 के आलोक में प्रतिवेदित किया गया कि वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन के माध्यम से जो टैक्स की राशि जमा की गयी है, वह निबंधन के समय जमा की गयी टैक्स की राशि से कम है। पुनः श्रीमान् के द्वारा पत्रांक-296/परि०, दि०-04.06.2026 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को निर्देश दिया गया कि वाहन स्वामी द्वारा टैक्स जमा करने में अनियमितता की जा रही है जो एक अत्यंत ही गंभीर मामला है। ऑनलाईन प्रदर्शित टैक्स की राशि और वास्तविक देय राशि में अन्तर का विस्तृत समीक्षा करते हुए नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। वाहन स्वामी द्वारा टैक्स में देय राशि जिला परिवहन कार्यालय में जमा नहीं किया गया। आवेदनकर्ता टैक्स डिफाल्टर है। अतः आवेदनकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है।
14	BR09PA-9172 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेस-18.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
15	BR09PB-0975 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेस-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त

16	BR09PA-9168 (06.04.2024) श्री रंजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-23.06.28 बीमा-21.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
17	BR09PA-9206 (25.06.2024) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.09.26 फिटनेश-24.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-30.06.27	अप्राप्त
18	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामां, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.09.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त
19	BR09PB-0976 (17.08.2026) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता-श्री विद्यासागर सिंह, पता-गोरगामा, नयागाँव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170 डाउन, बेगूसराय से कबेला। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता एवं नयागाँव। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त
20	BR09PB-0974 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबेला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त
21	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त

22	BR08P-5755 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त
23	BR21P-7674 (26.06.2021) श्री रुपेश कुमार, पिता- श्री संजय सिंह, पता-शकलदेव नगर कुसेरी, बरबीघा फाजाबाद, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3234 डाउन, रामचन्द्रपुर बिहार शरीफ से महुली। भाया-बरबीघा एवं शेखपुरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-26.09.26 फिटनेश-01.09.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-07.11.26	अप्राप्त
24	BR9F-6189 (31.07.2009) श्री राजीव कुमार रंजन, पिता-श्री रविन्द्र सिंह, पता-रजौरा, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.11.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-08.06.27 प्रदूषण-08.03.27	अप्राप्त
25	BR09PA-6689 (03.09.2021) श्री अजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-17.09.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-31.08.27	अप्राप्त
26	BR08P-5759 (31.08.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, श्री अमरजीत कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त
27	BR09PA-9544 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगोवा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.11.26 बीमा-18.11.26 प्रदूषण-09.11.26	अप्राप्त

28	BR09PB-0978 (17.03.2026) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेश-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR06PA-9840 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 12:05 12:07 आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय-सारणी बेगूसराय में 02 मिनट का अन्तराल है। बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 02 मिनट का अन्तराल होने से वाहन परिचालन में दिक्कत होगी। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के निर्गत समय-सारणी को ओवरटेक कर अपने वाहन का प्रस्तावित समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।
29	BR01PT-8972 (04.02.2016) श्री भानू प्रताप, पिता-श्री रवि शंकर, पता-खेतलपुरा, सारे, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524, वार्सलीगंज से बरबीघा। भाया-शाहपुर मोड़ एवं शेखोपुर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-06.07.27 फिटनेश-20.02.27 बीमा-03.02.27 प्रदूषण-06.02.27	अप्राप्त
30	BR9D-6731 (23.12.2006) श्रीमती आमा देवी, पति-श्री राज किशोर राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3107, हसनपुर से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.12.26 फिटनेश-23.12.26 बीमा-30.08.27 प्रदूषण-14.09.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री ब्रजेश कुमार, वाहन सं0-BR09PB-0842 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान गढ़पुरा 08:13 08:18 08:14 08:19 मंझौल 09:05 09:07 09:06 09:08 बेगूसराय 09:44 15:51 09:45 09:55 मंझौल 16:45 16:47 16:46 16:48 गढ़पुरा 17:24 17:27 17:25 17:28 हसनपुर 17:59 - 18:00 - अतः प्रार्थना है कि समय-सारणी में टकराव को देखते हुए आवेदक के आवेदित आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3107 हसनपुर से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3105 कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय है।
31	BR06PF-8311 (26.03.2021) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-श्री संजय कुमार, पता-गोरगामा, गुरुगावन, मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखुंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुरा जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.09.26 फिटनेश-25.03.27 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-01.05.27	अप्राप्त
32	BR09PA-6809 (27.08.2018) श्री रंजन कुमार, पिता-श्री देव ना0 प्रसाद सिंह, पता-गोरगामा, नयागॉव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखुंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुरा जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.26 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-06.09.26	अप्राप्त

33	BR09PA-6807 (27.08.2018) श्री राज कुमार पिता-श्री बब्लु कुमार सिंह, पता-शाहपुर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.11.26 फिटनेश-11.09.26 बीमा-25.08.27 प्रदूषण-12.09.26	अप्राप्त
34	BR08P-5564 (15.02.2025) श्री अंकज कुमार, पिता-पारसनाथ सिंह, पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-13.11.26 फिटनेश-14.02.27 बीमा-13.02.27 प्रदूषण-12.02.27	अप्राप्त
35	BR09PA-8768 (24.11.2023) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-संजय कुमार, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-23.11.26 फिटनेश-23.11.27 बीमा-09.11.26 प्रदूषण-22.11.26	अप्राप्त
36	BR08P-5489 (17.10.2024) श्रीमती कुमकुम कुमारी, पति-संजय कुमार, पता-गोरगामा, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल एवं भागलपुर डीपो। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-09.10.26 फिटनेश-16.10.26 बीमा-10.10.26 प्रदूषण-16.10.26	अप्राप्त
37	BR11PC-9255 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के0 हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.11.26 फिटनेश-01.02.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-16.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं0-BR53P-5165 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है और मेरे वाहन के आगे-पीछे वाहन स्वामी श्री राहुल कुमार, वाहन सं0-BR11PC-9255 का समय-सारणी के लिए आवेदन किए हैं। जबकि प्राधिकार का नियम मध्य बिन्दु पर 05 मिनट से अधिक का ठहराव नहीं होगा और वाहन स्वामी द्वारा रामगढ़ और हलसी में मध्य बिन्दु पर प्रति ट्रिप अप एवं डाउन 10 (दस) से 15 (पंद्रह) मिनट का ठहराव दिये हैं जो नियम के विरुद्ध है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णियाँ जिला है और तंग करने की नियम से हमारे लोकल गाड़ी लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अमारी रहूँगा। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।

38	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-19.06.27 फिटनेश-27.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-07.12.26	अप्राप्त																											
39	BR11PC-9455 (06.02.2023) श्री राहुल कुमार, पिता-श्री कार्या नंद कुमार, पता-गोकुल कृष्णा आश्रम, के० हाट, जिला-पूर्णियाँ।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.11.26 फिटनेश-01.02.27 बीमा-19.04.27 प्रदूषण-16.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राम निरंजन सिंह, वाहन सं०-BR53A-8011 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। मेरे उक्त वाहन के 02 (दो) मिनट आगे-आगे वाहन स्वामी श्री राहुल कुमार, वाहन सं०-BR11PC-9455 का लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं जो समय-सारणी निम्न प्रकार है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>05:28</td><td>05:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>07:18</td><td>07:20</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>09:28</td><td>09:30</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>11:53</td><td>11:55</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>14:13</td><td>14:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>16:21</td><td>16:23</td></tr><tr><td>लखीसराय प्र०</td><td>18:13</td><td>18:15</td></tr><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>19:28</td><td>19:30</td></tr></table> और सभी मध्य बिन्दु पर भी 02 मिनट का अन्तराल है और यह वाहन स्वामी का घर पूर्णियाँ जिला है और तंग करने की नियत से हमारे लोकल बस के आगे लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आवेदन किये हैं। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय जिससे मैं अपने वाहन का परिचालन कर सकूँ। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	लखीसराय प्र०	05:28	05:30	सिकन्दरा प्र०	07:18	07:20	लखीसराय प्र०	09:28	09:30	सिकन्दरा प्र०	11:53	11:55	लखीसराय प्र०	14:13	14:15	सिकन्दरा प्र०	16:21	16:23	लखीसराय प्र०	18:13	18:15	सिकन्दरा प्र०	19:28	19:30
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																													
लखीसराय प्र०	05:28	05:30																													
सिकन्दरा प्र०	07:18	07:20																													
लखीसराय प्र०	09:28	09:30																													
सिकन्दरा प्र०	11:53	11:55																													
लखीसराय प्र०	14:13	14:15																													
सिकन्दरा प्र०	16:21	16:23																													
लखीसराय प्र०	18:13	18:15																													
सिकन्दरा प्र०	19:28	19:30																													
40	BR06PC-5310 (18.03.2015) श्री दिलीप कुमार, पिता-श्री राम नारायण सिंह, पता-महमदपुर दामोदर, सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुर। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-20.02.27 फिटनेश-05.06.27 बीमा-05.05.27 प्रदूषण-11.11.26	अप्राप्त																											
41	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोव, परबत्ता, मरेया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-16.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त																											
42	BR09PA-6406 (17.04.2021) श्री पिकू कुमार सिंह, पिता-राम पदारथ सिंह, पता-पन्हास, सुहिर्द नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगडिया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.09.26 फिटनेश-16.04.27 बीमा-24.03.27 प्रदूषण-26.03.27	अप्राप्त																											

43	BR11PD-8145 (19.05.2026) श्री राज किशोर सिंह, पिता-श्री देवानंद सिंह, पता-गुआगाछी हेमकुंज, अमदाबाद जिला-कटिहार।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-78, मुंगेर से सिकन्दरा। भाया-सूर्यगढ़ा एवं लखीसराय। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-29.09.26 फिटनेश-18.05.28 बीमा-15.05.27 प्रदूषण-18.05.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री चंचल कुमार, वाहन सं0-BR53B-1164 का कहना है कि मेरी वाहन का स्थायी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा मार्ग पर आपके प्राधिकार से निर्गत है। उक्त वाहन के समय-सारणी के आगे वाहन स्वामी श्री राज किशोर सिंह, वाहन सं0-BR11PD-8145 का परमिट आवेदन मुंगेर से सिकन्दरा मार्ग पर किये हैं जो कि सिकन्दरा में मेरे वाहन के समय-सारणी से 02 मिनट आगे आवेदन किये हैं जबकि उक्त वाहन का सूर्यगढ़ा से लखीसराय स्टैण्ड की दूरी 22 किमी0 समय 33 मिनट में तय करते हैं। जबकि लखीसराय बाजार में एक घंटा में भी गाड़ी को तय करना मुश्किल है। लखीसराय वायपास पुल बंद रहने के कारण लखीसराय बाजार में स्कूल बस और ऑटो-टोटो चलने के कारण बहुत जाम रहता है। वायपास पुल बन्द होने के बाद जिला पदाधिकारी महोदय लखीसराय द्वारा बाजार में बड़े वाहन के परिचालन पर रोक लगाया गया है। अतः श्रीमान् से आग्रह है कि लखीसराय जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच कराकर और जब तक लखीसराय वायपास पूर्ण रूप से परिचालित नहीं हो जाय तब तक लखीसराय बाजार होकर परिचालन करने वाले वाहन का परमिट निर्गत नहीं की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा अमारी रहूँगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 78 मुंगेर से सिकन्दरा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 लखीसराय से सिकन्दरा है।
44	BR09PA-9827 (05.03.2025) श्री मनीष कुमार सिंह, पिता-विद्यासागर सिंह, पता-गोरगामा, नयागाँव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोड से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-26.11.26 फिटनेश-04.03.27 बीमा-27.02.27 प्रदूषण-08.03.27	अप्राप्त
45	BR34P-3549 (21.06.2016) श्री राजन कुमार, पिता- श्री नीरज कुमार सिंह पता-खम्हर, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-20.03.27 फिटनेश-26.03.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-25.03.27	अप्राप्त
46	BR09GA-7811 (22.08.2017) श्री सन्निता कुमार, पिता-श्री सुनील कुमार सिंह, पता-नवादा, चौथम, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया-महेशखुंट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-21.11.26 फिटनेश-20.08.27 बीमा-24.08.27 प्रदूषण-06.12.26	अप्राप्त
47	BR10PB-9302 (19.09.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता-श्री लड्डू प्रसाद सिंह, पता-गोगरी, जमालपुर अगुवानी, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.04.28 बीमा-26.09.26 प्रदूषण-05.10.26	अप्राप्त

48	BR21H-3071 (07.10.2012) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री माराकंड प्रसाद सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-06.10.26 फिटनेश-02.08.27 बीमा-24.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0-BR01PP-9783 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 03:35 03:41 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में 06 मिनट का अन्तराल है। बेगूसराय से बरबीघा की कुल दूरी 69 किमी0 है। वाहन स्वामी चार अप चार डाउन के परमिट का आवेदन किये हैं। वाहन स्वामी द्वारा 560 किमी0 वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वाहन स्वामी का वाहन 13 वर्ष 10 महिना पुराना है। 13 साल 10 महिना पुराना वाहन को 560 किमी0 दूरी तय करने का परमिट नहीं दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता गतिसीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं। बेगूसराय से हथिदाह की दूरी 28 किमी0 वाहन स्वामी 27 मिनट में तय कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक गतिसीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्ता अपने समय-सारणी में पड़ाव पर ठहराव में लगने वाले समय का उल्लेख नहीं किया है। आवेदनकर्ता हथिदाह से 18:55 में प्रस्थान कर बेगूसराय 19:21 में आगमन करते हैं। इस प्रकार वाहन स्वामी 28 किमी0 की दूरी 26 मिनट में तय करते हैं जो गतिसीमा का उल्लंघन है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।
49	BR34P-7883 (30.06.2026) श्री पिकेश कुमार सिंह, पिता-तृपि नारायण सिंह, पता-नयागाँव, जोराबारपुर, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-28.09.26 फिटनेश-29.06.28 बीमा-28.06.27 प्रदूषण-29.06.27	अप्राप्त
50	BR06PA-3222 (05.08.2010) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-श्री फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-04.11.26 फिटनेश-21.01.27 बीमा-31.10.26 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त
51	BR08P-5588 (10.03.2025) श्रीमती मीनू देवी, पति-पिकेश कुमार सिंह, पता-सतखुट्टी नयागाँव, परबत्ता, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-25.11.26 फिटनेश-09.03.27 बीमा-05.03.27 प्रदूषण-19.03.27	अप्राप्त
52	BR21P-4704 (02.02.2019) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेश-03.08.28 बीमा-29.11.26 प्रदूषण-01.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0-BR01PT-3099 का कहना है कि आवेदनकर्ता परमिट बिना प्रत्यर्पित किये फिर से आवेदन किये हैं। इन्होंने दो बार प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.07.2026 और 25.08.2026 के बैठक में अस्वीकृत हुआ है। फिर भी ये आवेदन वापस लेकर दो बार से नया आवेदन कर रहे हैं। प्राधिकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। इनकी प्रस्तावित समय-सारणी मेरे गाड़ी के आगे-आगे 05 मिनट पहले जानबुझकर लिए हैं। हमें परमिट उठाये 02 दिन भी नहीं हुआ है और ये हमारे आगे 05 मिनट पहले उठा रहे हैं। जबकि इस मार्ग पर भी मात्र 08 गाड़ी के परमिट उठे हैं जिनके 06 गाड़ी इन्हीं का है। ये ही आवेदन करते हैं और जानबुझकर अगले को जिनकी पास एक या दो गाड़ी है उसको चलने नहीं देना चाहते हैं। ये सब गाड़ी जय मों महारानी बैनर तले चलती है। इनके पास 20-25 गाड़ी है। सब इनके नाम पर इनके पति के नाम पर माताजी के नाम पर स्टॉफ के नाम पर इसकी जाँच आप करवा लें।

				अतः श्रीमान् इस पर उचित कार्रवाई करें। वाहन सं०-BR21P-4704 के प्रस्तावित समय-सारणी निम्न है :- पहली पाली <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>06:22 06:28 (06 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>हथिदाह प्र०</td><td>06:53 06:56 (03 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>07:07 07:10 (03 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>07:34 07:43 (08 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>07:50 08:16 (16 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>08:06 08:30 (14 मिनट पहले)</td></tr></table> दूसरी पाली <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>09:31 09:47 (12 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>10:03 10:15 (10 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>11:00 11:17 (07 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>11:17 11:34 (17 मिनट पहले)</td></tr></table> तीसरी पाली <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>16:10 16:15 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>16:45 16:50 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>18:20 18:25 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>18:38 18:42 (07 मिनट पहले)</td></tr></table> गाड़ी का 05 अप 05 डाउन का उठाव कर लेते हैं और गाड़ी का परिचालन मात्र 02 अप 02 डाउन ही होता है और इस समय-सारणी पर दूसरे गाड़ी को परिचालन करते हैं। अतः इस पर उचित कार्यवाही कर एक ही गाड़ी परिचालन करने को हुआ जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	06:22 06:28 (06 मिनट पहले)	हथिदाह प्र०	06:53 06:56 (03 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	07:07 07:10 (03 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	07:34 07:43 (08 मिनट पहले)	बरबीघा प्र०	07:50 08:16 (16 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	08:06 08:30 (14 मिनट पहले)	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	09:31 09:47 (12 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	10:03 10:15 (10 मिनट पहले)	बरबीघा प्र०	11:00 11:17 (07 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	11:17 11:34 (17 मिनट पहले)	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	16:10 16:15 (05 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	16:45 16:50 (05 मिनट पहले)	बरबीघा प्र०	18:20 18:25 (05 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	18:38 18:42 (07 मिनट पहले)
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																					
बेगूसराय प्र०	06:22 06:28 (06 मिनट पहले)																																					
हथिदाह प्र०	06:53 06:56 (03 मिनट पहले)																																					
मोकामा प्र०	07:07 07:10 (03 मिनट पहले)																																					
सरमेरा प्र०	07:34 07:43 (08 मिनट पहले)																																					
बरबीघा प्र०	07:50 08:16 (16 मिनट पहले)																																					
सरमेरा प्र०	08:06 08:30 (14 मिनट पहले)																																					
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																					
बेगूसराय प्र०	09:31 09:47 (12 मिनट पहले)																																					
मोकामा प्र०	10:03 10:15 (10 मिनट पहले)																																					
बरबीघा प्र०	11:00 11:17 (07 मिनट पहले)																																					
सरमेरा प्र०	11:17 11:34 (17 मिनट पहले)																																					
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																					
बेगूसराय प्र०	16:10 16:15 (05 मिनट पहले)																																					
मोकामा प्र०	16:45 16:50 (05 मिनट पहले)																																					
बरबीघा प्र०	18:20 18:25 (05 मिनट पहले)																																					
सरमेरा प्र०	18:38 18:42 (07 मिनट पहले)																																					
53	BR09PA-8166 (06.04.2023) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3181, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-01.05.27 प्रदूषण-03.05.27	अप्राप्त																																		
54	BR10PB-9094 (12.07.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता-श्री लड्डू प्रसाद सिंह, पता-गोगरी जमालपुर, अगुवानी, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-10.10.26 फिटनेश-01.04.28 बीमा-25.11.26 प्रदूषण-07.09.26	अप्राप्त																																		
55	BR52P-0959 (16.01.2020) श्री सर्वजीत कुमार, पिता-श्री अनिल प्रसाद सिंह, पता-रामपुर सिडिये, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टेक्स-18.11.26 फिटनेश-29.07.28 बीमा-20.07.27 प्रदूषण-20.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं०-BR21K-1811 का कहना है कि मैं आपके प्राधिकार से 02 दिन पहले दि०-29.08.2026 को परमिट का उठाव किया हूँ। वाहन सं०-BR52P-0959 जानबुझकर मेरे 05 मिनट पहले परमिट का आवेदन कर रहे हैं। इनके पास 20-25 गाड़ी है तो जानबुझकर 01-02 गाड़ी वाले को तंग करते हैं। इनकी आवेदन प्राधिकार की बैठक दि०-25.08.2026 को वापस किया गया। क्योंकि बिना परमिट प्रत्यर्पित किये हुए। ये फिर से नया आवेदन किये हैं। ये जानबुझकर प्राधिकार का समय बर्बाद करते हैं। प्राधिकार को गुमराह करते हैं। कभी जाली बीमा देकर बिना परमिट प्रत्यर्पित किये हुए आवेदन करते हैं। इसकी जाँच VLTD द्वारा करवाई जाय। पहली पाली <table><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>07:55 08:01 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>08:41 08:45 (04 मिनट पहले)</td></tr></table>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	07:55 08:01 (05 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	08:41 08:45 (04 मिनट पहले)																												
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																					
बेगूसराय प्र०	07:55 08:01 (05 मिनट पहले)																																					
मोकामा प्र०	08:41 08:45 (04 मिनट पहले)																																					

				<table><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>09:45</td><td>09:52 (06 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>10:05</td><td>10:12 (07 मिनट पहले)</td></tr><tr><td colspan="3">दूसरी पाली</td></tr><tr><td colspan="2">आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>11:45</td><td>11:51 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>12:31</td><td>12:35 (04 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>09:52</td><td>09:45 (06 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>10:05</td><td>10:12 (07 मिनट पहले)</td></tr><tr><td colspan="3">तीसरी पाली</td></tr><tr><td colspan="2">आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>06:15</td><td>06:20 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>06:35</td><td>06:40 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>07:07</td><td>07:15 (05 मिनट पहले)</td></tr><tr><td colspan="3">चौथी पाली</td></tr><tr><td colspan="2">आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>15:51</td><td>15:56 (04 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>16:26</td><td>16:23 (02 मिनट पीछे)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>17:05</td><td>17:17 (10 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>17:50</td><td>17:58 (07 मिनट पहले)</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>18:10</td><td>18:18 (07 मिनट पहले)</td></tr></table> ये जानबुझकर 05 मिनट पहले डालते हैं। इनके पास 20-22 गाड़ी है और ये एक से दो गाड़ी वाले को तंग करते हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।	बरबीघा प्र०	09:45	09:52 (06 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	10:05	10:12 (07 मिनट पहले)	दूसरी पाली			आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	11:45	11:51 (05 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	12:31	12:35 (04 मिनट पहले)	बरबीघा प्र०	09:52	09:45 (06 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	10:05	10:12 (07 मिनट पहले)	तीसरी पाली			आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता	बरबीघा प्र०	06:15	06:20 (05 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	06:35	06:40 (05 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	07:07	07:15 (05 मिनट पहले)	चौथी पाली			आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता	बेगूसराय प्र०	15:51	15:56 (04 मिनट पहले)	मोकामा प्र०	16:26	16:23 (02 मिनट पीछे)	सरमेरा प्र०	17:05	17:17 (10 मिनट पहले)	बरबीघा प्र०	17:50	17:58 (07 मिनट पहले)	सरमेरा प्र०	18:10	18:18 (07 मिनट पहले)
बरबीघा प्र०	09:45	09:52 (06 मिनट पहले)																																																														
सरमेरा प्र०	10:05	10:12 (07 मिनट पहले)																																																														
दूसरी पाली																																																																
आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता																																																														
बेगूसराय प्र०	11:45	11:51 (05 मिनट पहले)																																																														
मोकामा प्र०	12:31	12:35 (04 मिनट पहले)																																																														
बरबीघा प्र०	09:52	09:45 (06 मिनट पहले)																																																														
सरमेरा प्र०	10:05	10:12 (07 मिनट पहले)																																																														
तीसरी पाली																																																																
आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता																																																														
बरबीघा प्र०	06:15	06:20 (05 मिनट पहले)																																																														
सरमेरा प्र०	06:35	06:40 (05 मिनट पहले)																																																														
मोकामा प्र०	07:07	07:15 (05 मिनट पहले)																																																														
चौथी पाली																																																																
आवेदनकर्ता		आपत्तिकर्ता																																																														
बेगूसराय प्र०	15:51	15:56 (04 मिनट पहले)																																																														
मोकामा प्र०	16:26	16:23 (02 मिनट पीछे)																																																														
सरमेरा प्र०	17:05	17:17 (10 मिनट पहले)																																																														
बरबीघा प्र०	17:50	17:58 (07 मिनट पहले)																																																														
सरमेरा प्र०	18:10	18:18 (07 मिनट पहले)																																																														
56	BR01PK-6090 (28.03.2019) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3104, ठठेरवा से बेगूसराय। भाया-बिथान, हसनपुर, गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-14.07.27 फिटनेश-26.03.28 बीमा-15.03.27 प्रदूषण-01.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राज किशोर राय वाहन सं०-BR09H-0975 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>हसनपुर प्र०</td><td>07:40</td><td>07:41</td></tr><tr><td>गढ़पुरा प्र०</td><td>08:26</td><td>08:27</td></tr></table> वाहन स्वामी श्री ब्रजेश कुमार का उपरोक्त वर्णित मार्ग पर पूर्व से परमिट निर्गत है। ठठेरवा और विथान में पूर्व से निर्गत परमिट का समय-सारणी है तथा हसनपुर और गढ़पुरा में आपत्तिकर्ता के समय-सारणी के 01 मिनट पूर्व का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता दोनों के मार्ग का 75% भाग समान है। आवेदनकर्ता विथान से हसनपुर की दूरी 30 मिनट में तय करते हैं। पुनः विथान से 12:35 में प्रस्थान कर हसनपुर 12:50 में आगमन करते हैं। इस प्रकार हसनपुर से विथान की दूरी प्रथम पाली में 30 मिनट तथा दूसरे पाली में 15 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्ता ने अपने प्रस्तावित समय-सारणी में मार्ग में वर्णित दूरी का उल्लेख नहीं किया है। आवेदनकर्ता का समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण समय-सारणी के आधार पर परमिट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्ता का परमिट आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3104 ठठेरवा से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3107 हसनपुर से बेगूसराय है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	हसनपुर प्र०	07:40	07:41	गढ़पुरा प्र०	08:26	08:27																																																				
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																																															
हसनपुर प्र०	07:40	07:41																																																														
गढ़पुरा प्र०	08:26	08:27																																																														
57	BR21P-2524 (29.11.2015) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआडीह, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-27.11.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-29.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं०-BR01PT-3099 का कहना है कि आवेदनकर्ता, वाहन सं०-BR21P-2524 का बिना परमिट प्रत्यर्पित किये बिना फिर से आवेदन किये हैं। ये गाड़ी परमिट से आवृत्त है जो कि दि०-25.08.2026 के प्राधिकार के बैठक में रिजेक्ट किया गया। ये फिर से आवेदन किये हैं जो कि प्राधिकार के समय को बर्बाद करते हैं और प्राधिकार को गुमराह करते हैं। आवेदन को वापस लेकर मात्र 1500 रुपये का चालान लगता है। समय-सारणी संशोधित माँगने पर ऐ आवेदन वापस ले लेते हैं और नया आवेदन कर देते हैं। हमारी वाहन की परमिट आपके प्राधिकार से दो दिन पहले उठाव किये हैं और ये हमारे परमिट के आगे 05 मिनट पहले समय-सारणी डाल दिये हैं। इनके और इनके पति और स्टॉफ से अनेकों गाड़ी है तो 01 से 02 गाड़ी वाले को परेशान करते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता																																																												

				बेगूसराय प्र० 09:41 09:47 (05 मिनट पहले) हथिदाह प्र० 10:12 10:15 (02 मिनट पहले) मोकामा प्र० 10:26 10:30 (03 मिनट पहले) बरबीघा प्र० 11:12 11:17 (04 मिनट पहले) अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इसकी आवेदन अस्वीकृत कि जाय आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।
58	BR09R-6675 (07.11.2015) श्रीमती सुधा सिंह, पति-श्री मुक्ति नाथ सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225, भागलपुर रोस्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-06.11.26 फिटनेश-01.04.27 बीमा-18.05.27 प्रदूषण-08.05.27	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती संख्या कुमारी, वाहन सं०-BR06PF-1247 का कहना है कि मेरी वाहन का परमिट मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्राप्त एवं परिचालित है। आवेदनकर्ता श्रीमती सुधा सिंह, वाहन सं०-BR9R-6675 के द्वारा जानबुझकर बेगूसराय से प्रस्थान 14:38 दिये हैं जो समान मार्ग संख्या 3225 है, प्राधिकार के नियम के मुताबिक 05 मिनट 02 मिनट का उल्लंघन एवं ओवरटेक भी है। पीछे खुलकर महेशखूंट पीछे हो जाते हैं जो निम्न है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 14:38 14:40 (02 मिनट आगे) महेशखूंट प्र० 16:46 16:45 (01 मिनट पीछे) नौगछिया जीरोमाईल प्र० 18:03 18:04 (01 मिनट आगे) अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि आवेदनकर्ता के समय-सारणी से स्पष्ट है कि जानबुझकर प्राधिकार के नियम का उल्लंघन किये हैं जो उचित नहीं है एवं 05 मिनट 02 का प्राधिकार के नियम के विरुद्ध आवेदन किये हैं। परमिट आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।
59	BR19P-7549 (24.07.2018) श्री विवेक यादव, पिता-श्री योगेन्द्र यादव, पता-नौरंगा, केशवनगर, चौथम, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045, आलमनगर से खगड़िया। भाया-बेलदौर, सोनवर्षा घाट,, उसराहा (इसराहा) एवं महेशखूंट। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-23.07.27 फिटनेश-17.10.26 बीमा-06.10.26 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबन्धन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
60	BR09PA-9781 (14.02.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-श्री अमरजीत कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1813, बेगूसराय से दरभंगा। भाया-बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासराय। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-09.11.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-23.02.27 प्रदूषण-16.02.27	अप्राप्त
61	BR08P-5752 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1813 डाउन, दरभंगा से बेगूसराय। भाया-लहेरियासराय, विशनपुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, मुशरीघरारी, दलसिंहसराय, बछवारा, टेघरा, एवं बरौनी जीरोमाईल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.11.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.27 प्रदूषण-30.08.27	अप्राप्त

62	BR21P-9370 (31.10.2023) श्रीमती विमला देवी पति-स्व० परमानंद सिंह, पता-इसुआडीह, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761 डाउन, सरमेरा से बिहारशरीफ। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-14.09.26 फिटनेश-22.01.28 बीमा-14.09.26 प्रदूषण-17.11.26	अप्राप्त
63	BR01PS-1074 (22.05.2025) श्रीमती मोनी कुमारी, पति-श्री प्रतीक कुमार, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761, बिहारशरीफ से सरमेरा। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-14.11.26 फिटनेश-21.05.27 बीमा-20.05.27 प्रदूषण-21.05.27	अप्राप्त
64	BR21P-9562 (03.02.2024) श्री ओंकार कुमार, पिता-श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पता-पोझ मलवा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-02.09.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-761 डाउन, सरमेरा से बिहारशरीफ। भाया-बरबीघा। ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-21.11.26 फिटनेश-12.03.28 बीमा-21.11.26 प्रदूषण-24.02.27	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 04

अन्यान्य :-

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 25.08.2026 का लंबित प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबन्धन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)
65	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-08.08.26 फिटनेश-24.03.27 बीमा-11.12.26 प्रदूषण-25.09.25	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम हैं, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः

				कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी। आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
66	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौदी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-12.11.26 फिटनेश-29.07.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-23.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है।

				उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
67	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-08 (08 अप 08 डाउन)	टेक्स-13.09.26 फिटनेश-24.04.27 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-25.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ

				नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है।
68	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह,, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स-16.10.26 फिटनेस-18.01.28 बीमा-16.01.27 प्रदूषण-28.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य

			नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	--

69	BR21G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-03.04.27 फिटनेश-16.02.27 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-23.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैठता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु
----	--	---	--	---

				पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं० बस स्टैण्ड से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
70	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3208 डाउन, नवादा से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकडीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-14.10.26 फिटनेस-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार

			बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
71	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-02.04.27 फिटनेस-02.04.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-22.04.27 ➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय

				संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
72	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता—श्री बच्चु सिंह, पता—पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला—नवादा।	प्रकाशन—08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या—3162, नवादा से महिसौड़ी चौक, जमुई। भाया—पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप—02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स—14.10.26 फिटनेस—16.04.28 बीमा—27.03.27 प्रदूषण—16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०—BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय

			पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	---



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापक - सा0-01-01/2026/परि0.....455....., दिनांक09/09...../2026
प्रतिलिपि - श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।